# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल दरभंगा

अरूण साहु

वनाम

विलास सदा

वाद संख्या–21 / 2013–14

वाद का प्रकार–वेदखली

**आदेश**

15.11.2013 बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत दायर किया गया है जिसमें प्रतिवादी पर वादी को प्रश्नगत भूमि से वेदखल करने का आरोप लगया गया है।

**प्रश्नगत भूमि का विवरण**

मौजा सिमरटोका थाना कु0 स्थान जिला दरभंगा।

| खाता | खेसरा | कुल रकवा | विवादित रकवा | चोहद्दी |
|---|---|---|---|---|
| | | 2 बीघा 8 | 1 बीघा 5 | |
| 88 पु0 | 581 पु0 | कट्ठा | कट्ठा | उ0–खुसर सदा |
| | 1269 नया | | | द0–ठेकनाथ मिश्र |
| | | | | पु0–बिहारी यादव |
| | | | | प0–मुनेश्वर साहु |

प्रथम पक्ष का संक्षेप में कहना है कि वादी भूतपुर्व जमींदार मदन मोहन दास पे0 स्व0 यशोदा नन्द दास वनाम श्रीमति दुर्गा देवी पति अरूण साहु को उचित जरसीमन अदायकर बजरिये निबंधित केवाला दिनांक 22.07.2011 को कराया एवं दखल कब्जा वो उपयोग में चला आ रहा है। वादी के विक्रेता के पिता यशोदा नन्द दास के नाम से हाल सर्वे खतियान भी प्रकाशन है जो वादी के विक्रेता को दखल कब्जा एवं उपयोग में चला आ



15.11.13

रहा है। वादी उक्त भूमि को केवाला के उपरान्त अंचल अधिकारी कु0 स्थान पुर्वी को अद्यतन राजस्व अदायकर जमाबंदी संख्या–1055 वित्तीय वर्ष 2011–12 तक राजस्व रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं। वादी के अनुपस्थिति में प्रतिवादीगणो ने एक राय होकर वादी के भूमि को जबरन कब्जा करना चाहा फलस्वरूप वादी समाहरणालय दरभंगा जनशिकायत कोषांग क्र0 सं0 895 दिनांक 21.03.13 को आवेदन दिया फलस्वरूप श्रीमान को उक्त आवेदन पर कारवाई करने का निर्देश दिया गया।

दोनो पक्षो को विधिवत नोटिस दिया गया परंतु प्रतिवादी लगातार अनुपस्थित रहे जिसके कारण एक पक्षीय सुनवाई की गयी। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना, अभिलेख एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यो का अवलोकन किया। वादी प्रश्नगत भूमि निबंधित केवाला से प्राप्त होने की बात कहते है एवं साक्ष्य के रूप में निबंधित केवाला, लगान रसीद एवं वादी के विक्रेता के पिता के नाम से हाल खतियान की छायाप्रति संलग्न की गयी है। उपलब्ध कराये गये साक्ष्यो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि पर वादी का दावा सही है। अतः प्रश्नगत भूमि पर वादी के दावा को संपुष्ट करते हुए अंचलाधिकारी कु0 स्थान पुर्वी को निर्देश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि से यदि वादी को कोई वेदखल करता है तो वादी को वेदखली से बचाने के लिए नियमानुसार आवश्यक कारवाई की जाय।

उपर्यूक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से संबंधित पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापति एवं संशोधित

15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल